झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–875 वर्ष 2003

1. राजेंद्र कंडू
2. चमेली देवी
3. जीतन साओन .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. मीना देवी .... विपक्षी पार्टियाँ

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री हेमंत कुमार शिकारवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टियों के लिए:– श्री विश्वनाथ राय, विशेष लोक अभियोजक
विपक्षी पार्टी संख्या 2 के अधिवक्ता ?

08 / 02.01.2023 पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं0–IV, हजारीबाग द्वारा दाण्डिक अपीलीय सं0 63 / 1997 में पारित दिनांक 10.07.2003 के निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया और विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा जी0आर0 केस संख्या 2567 / 1991, टी0 आर0 संख्या 50 / 1997 के अनुरूप में दिनांक 05.03.1997 को

पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 'ए' के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया एवं प्रत्येक को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

3. बहस के दौरान याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत का ध्यान दिनांक 25.09.2021 के पूरक शपथ पत्र और उक्त पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्न दिनांक 24.07.2021 की समझौता याचिका की एक प्रति दोनों आपराधिक विविध याचिका सं0 633/2021 में दायर किए गए, की ओर आकर्षित किया। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि पूरक शपथ पत्र उक्त प्रत्यावर्तित आवेदन का हिस्सा था और अब दोनों पक्ष यानि विपक्षी पार्टी संख्या 2 और उनके पति–याचिकाकर्ता संख्या 1 अब बिना किसी विवाद कते एक साथ रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अदालत के बाहर अपने विवाद को सुलझा लिया है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक प्रस्तुत करते हैं कि तत्काल आवेदन का निपटान किया जा सकता है क्योंकि दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के एक साथ रह रहे हैं।

5. मामले के तथ्यों और बरकागाँव थाना काण्ड संख्या 138/1991, जी0आर0 संख्या 2576/1991 के अनुरूप में दायर समझौता आवेदन जिसकी फोटोकॉपी सी0आर0एम0पी0 सं0 633/2021 में दायर पूरक शपथ पत्र के साथ संलग्न की गई थी, को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों के बीच विवाद को परिवार और

दोस्तों की मदद से हल किया गया है और अब विपक्षी संख्या 2, याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ शांति से रह रही है। जैसा कि यह सी0आर0एम0पी0 सं0 633/2021 के रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी है।

6. उपर्युक्त तथ्यों और घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, जीवित याचिकाकर्ताओं की सजा की अवधि को संशोधित करके न्याय के हित में पर्याप्त होगा।

7. इस प्रकार, निचली न्यायालय द्वारा पारित सजास को इस हद तक संशोधित किया जाता है कि जीवित याचिकाकर्ताओं को पहले से ही भुगती गई अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है।

8. जीवित याचिकाकर्ताओं को उनके जमानत बांड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों और वाक्य में संशोधन के साथ, तत्काल पुनरीक्षण आवेदन का निपटान किया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति को निचली अदालतों को और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जीवित याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया जाए।

11. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)